

FROM No.III



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहाय्य उल्लेख संव 5.00 मुकाम बायड

.....दनुमानराम बनाम भैराराम पण्डे.....

किस्म मुकदमा रा. श. सं. 111,128 R.P.A.C. नं. 25/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>जगदीश गौड़रा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 R.P.A.C.</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>18/02/19</u> को पेश हो।</p>	
18/02/19	<p>प्रार्थी संख्या - 1 व 3 तथा प्रार्थी पक्षील उपस्थित। अग्रार्थी गणों के नोटिस तामील हुआ जात जिसे तामील पत्रावली हीमा गमा। श्रीमान पीठानी अतिथि डीग प्रार्थी के व्यक्त होने के सिवाल इलतवा नोटिस मागामी दिनांक 27/03/19 को पेश हो।</p>	 <u>सहाय्य</u>
27/03/19	<p>प्रार्थी पक्षील उपस्थित। अग्रार्थी गण अनुपस्थित। श्रीमान पीठानी अतिथि चुनाव प्रार्थी के व्यक्त होने के सिवाल इलतवा नोटिस मागामी दिनांक 25/04/19 को पेश हो।</p>	<u>दनुमानराम</u>  <u>11</u>

25/04/19

प्राथमिक स्तरें उपस्थित। प्राथमिकों द्वारा  
उपस्थित होकर एउ प्राथमिक-पत्र वास्ते प्रकरण  
को विज्ञापित करने का कार्य भी प्रारंभ हुआ तथा  
व निवेदन भी प्राथमिकों को उचित निवेदन  
सीमा के अन्तर्गत में प्रस्तुत करने के बाद  
जानकारी हुई कि प्राथमिकों की शक्ति की तमाम  
राजत्व रैफंड में लगी ही हुई नहीं है। इसलिए  
प्राथमिक पहले अपनी शक्ति की तमाम इच्छा  
करवाना चाहते हैं लिहाजा उचित प्रकरण को  
आगे नहीं चलाकर इसी स्टेज पर विज्ञापित करना  
चाहते हैं।

अतः प्राथमिकों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक-पत्र  
इसी स्टेज पर जारी की तबीयत भी जारी  
प्राथमिकों द्वारा प्रस्तुत राजत्व निवेदन को इसी  
स्टेज पर जारी किया जाता है। पत्रावली  
केसल सुमार होकर डी नम्बर में कम हो,  
दाखिल दस्तर हो।